

प्रेषक,

एस० राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक)

देहरादून: दिनांक 18 दिसम्बर, 2013

विषय: बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को राजकीयकरण की तिथि 22.4.2006 के पश्चात अर्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान विषयक।

महोदय,

कृपया अपने पत्र सं० प्रा०शि-सेवा(2)/22107/अर्जित अवकाश/ 2013-14 दिनांक 07.11.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें शासनादेश सं० डब्ल्यू-81/XXIV(1)/2012-26/2006 दिनांक 14.5.2012 के अनुक्रम में राजकीयकरण की तिथि के पश्चात अर्जित होने वाले अर्जित अवकाश (Earned Leave) के बदले नकदीकरण अनुमन्य कराने हेतु वित्त विभाग की सहमति से आदेश निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में शासनादेश सं० डब्ल्यू-81/XXIV(1)/2012-26/2006 दिनांक 14.5.2012 के क्रम में वित्त विभाग से प्राप्त परामर्शानुसार मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को राजकीयकरण की तिथि अर्थात् दिनांक 22.4.2006 से ही नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य होगी अर्थात् इस तिथि के पश्चात अर्जित किये गये अर्जित अवकाशों (Earned Leave) के बदले ही नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य होगी। राजकीयकरण की तिथि के पूर्व अर्जित किये गये अवकाशों (Earned Leave) पर नकदीकरण देय नहीं होगा।

भवदीय,

(एस० राजू)
प्रमुख सचिव

सं० 1322 (1) / XXIV(1) / 2013-26/2006

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
- 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), उत्तराखण्ड (निदेशालय के माध्यम से)।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(आर०के० तोगर)
उप सचिव